2025:CGHC:17141

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सेवा क्रमांक 1473/2021

1 राम प्रसाद नायक पिता भागबली नायक, आयु लगभग 67 वर्ष, निवासी– शांति विहार कॉलोनी, डंगनिया रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

...याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1 छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः सचिव, ऊर्जा विभाग ,मंत्रालय अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.), जिला : रायपुर, छत्तीसगढ

2 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, द्वाराः प्रबंध निदेशक (सीएसपीडीसीएल) डंगनिया रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

3 अधीक्षण अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सिविल–डिस्ट्रीब्यूशन), सर्कल सी–6, गुढ़ियारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

... उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद– शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता की ओर से	: श्री हेमंत केशरवानी, अधिवक्ता
उत्तरवादीगण/ राज्य की ओर से	: सुश्री आकांक्षा वर्मा, पैनल अधिवक्ता
उत्तरवादी क्रमांक 2 व 3 की ओर से	: डॉ. वीणा नायर, अधिवक्ता

(माननीय न्यायमूर्ति श्री बिभु दत्त गुरु)

बोर्ड पर आदेश

15/04/2025

1. इस रिट याचिका में दिनांक 05.02.2021 के आदेश(अनुलग्नक पी–1)(अनुतोष खंड में त्रुटिपूर्ण रुप से दिनांक 05.02.2019 उल्लेखित है) को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा उत्तरवादी/सीएसपीडीसीएल ने याचिकाकर्ता को बकाया वेतन प्रदान करने से अस्वीकार कर दिया था।

2. याचिकाकर्ता का प्रकरण, जैसा कि रिट याचिका में प्रस्तुत किया गया है, यह है कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में वर्ष 1977 में विद्युत मंडल में नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात, उन्हें वर्ष 1995 में पर्यवेक्षक

(सिविल) के पद पर पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, मनसुख लाल ने भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो, रायपुर में अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता और याचिकाकर्ता के विरुद्ध अवैध रूप से रिश्वत मांगने की शिकायत की और उक्त कार्यवाही में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13 (1) (घ), 13 (2) के अधीन अपराध हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के कारण, याचिकाकर्ता को दिनांक 12.10.2007 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया है। चूंकि विचारण 3 वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त नहीं किया जा सका, अतः दिनांक 04.09.2010 के आदेश द्वारा निलंबन अवधि वापस ले लिया गया है। इस मध्य, विचारण पूर्ण होने के उपरांत, याचिकाकर्ता को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रायपुर, छ.ग. के न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दाण्डिक अपील क्रमांक 1153/2012 में उक्त दोषसिद्धि को चुनौती दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धि के कारण, दिनांक 01.04.2013 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। दाण्डिक अपील क्रमांक 1153/2012 को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2020 के निर्णय द्वारा स्वीकार किया गया है और याचिकाकर्ता को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है। इस मध्य, याचिकाकर्ता दिनांक 31–8– 2018 को सेवा से सेवानिवृत्ति हो गए। इस प्रकार, दोषमुक्त होने के पश्चात याचिकाकर्ता ने बकाया वेतन की मांग करते हुए प्राधिकारियों के समक्ष कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। यद्यपि, आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया है और याचिकाकर्ता को बकाया वेतन प्रदान करने से इंकार कर दिया गया है। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता मूलभूत नियमों के नियम 54–ख के आधार पर बकाया वेतन पाने का हकदार है, अतः, आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाने योग्य है और रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है। उन्होंने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित अरुण कुमार शर्मा विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य (रिट याचिका सेवा क्रमांक 3904/2020) तथा अब्दुल रहमान अहमद विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य (रिट याचिका सेवा क्रमांक 3899/2006) का भी अवलंब लिया।

4. उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मूलभूत नियमों का नियम 54–ख स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के प्रकरण में लागू नहीं होगा, क्योंकि याचिकाकर्ता को निलंबित नहीं किया गया था और उक्त निलंबन के निरस्तीकरण पर सेवा में बहाल नहीं किया गया था और वह अपनी अनुपस्थिति की अवधि में निलंबित नहीं था, बल्कि उसे अधिकारिता दाण्डिक न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण में दोषसिद्धि के पश्चात उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, अतः, उक्त मूलभूत नियम उस पर लागू नहीं होगा और वह बकाया वेतन पाने का हकदार नहीं होगा। **रणछोड़जी चतुरजी ठाकोर विरुद्ध अधीक्षक अभियंता, गुजरात विद्युत मण्डल, हिम्मतनगर**[1] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के

1 (1996) 11 SCC 603

निर्णय के आलोक में, वह बकाया वेतन पाने का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

5. उपरोक्त विनिश्चित प्रश्नों का उत्तर देने हेतु, मूलभूत नियमों के नियम 54–ख (1) पर विचार करना उचित होगा, जिसमें निम्नानुसार व्यक्त किया गया है: –

> **मू.नि. 54– ख** (1) यदि किसी शासकीय सेवक को जिसे निलम्बित किया गया था, बहाल किया जाता है या जिसे यदि वह निलम्बनाधीन रहते हए सेवानिवृत्ति जिसके अन्तर्गत समयपूर्व सेवानिवृत्ति भी सम्मिलित नहीं होता तो ,बहाल किया जाता , तो बहाली का आदेश देने वाला सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित के संबंध में विचार करेगा और विनिर्दिष्ट आदेश देगाः–
>
> (क) शासकीय सेवक को निलम्बन की अवधि के लिए जो यथास्थिति बहाली पर या उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर समाप्त होती हो, जैसा भी मामला हो; दिया जाने वाला वेतन और भत्ते;और
>
> (ख) उक्त अवधि कर्तव्य पर व्यतीत अवधि मानी जाएगी या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मूलभूत नियम के नियम 54–ख के उप–नियम (1) का ध्यानपूर्वक परिशीलन करने से ज्ञात होता है कि यदि किसी शासकीय सेवक को जिसे निलम्बित किया गया था, बहाल किया जाता है या जिसे यदि वह निलम्बनाधीन रहते हए सेवानिवृत्ति जिसके अन्तर्गत समयपूर्व सेवानिवृत्ति भी सम्मिलित नहीं होता तो ,बहाल किया जाता,तो बहाली का आदेश देने वाला सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित के संबंध में विचार करेगा और विनिर्दिष्ट आदेश देगा जो यथास्थिति बहाली पर या उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर समाप्त होती हो, जैसा भी मामला हो; और उक्त अवधि कर्तव्य पर व्यतीत अवधि मानी जाएगी या नहीं। यद्यपि, याचिकाकर्ता का प्रकरण यह नहीं है कि उसे निलंबित किया गया था और निलंबन को रद्द करते हुए बहाल करने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि उसे अधिकारिता वाली दाण्डिक न्यायालय द्वारा दाण्डिक आरोपों में सिद्धदोष किए जाने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, अतः मूलभूत नियम का नियम 54–ख लागू नहीं होगा।

7. **<u>मुन्नालाल मिश्रा विरुद्ध भारत संघ व अन्य</u>**[2] के प्रकरण में मप्र उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मूलभूत नियमों के नियम 54, 54–क एवं 54–ख की प्रयोज्यता के संबंध में इस विवाद्यक पर गहनता से विचार किया और अभिनिर्धारित किया कि जब किसी शासकीय सेवक को किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के अनुपालन में नहीं बल्कि दाण्डिक प्रकरण में दोषसिद्धि के आधार पर जांच के बिना बर्खास्त या हटाया जाता है या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है, तो मू.नि. 54, 54–क व 54–ख लागू नहीं होंगे

2 2005(3) M.P.H.T. 125 (DB)

तथा मू.नि. 17(1), जो 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' से संबंधित है, लागू होगा। रिपोर्ट के पैरा 10 में निम्नानुसार अवधारित किया गया है: –

> "10. पंरतु जब किसी शासकीय (या रेलवे) सेवक को किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के अनुपालन में नहीं, बल्कि किसी दाण्डिक प्रकरण में दोषसिद्धि के आधार पर जांच के बिना बर्खास्त या पदच्युत किया जाता है या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है, तो मू.नि. 54, 54–क और 54–ख (या रेलवे कोड के संबंधित नियम 1343, 1344 व 1345) लागू नहीं होंगे। फलस्वरूप, हमें सामान्य सिद्धांतों और मूलभूत नियम क्रमांक 17 (1) पर लौटना होगा, जो यह प्रावधान करता है कि कोई कार्य नहीं करने का तात्पर्य कोई वेतन नहीं होगा। अतः, शासकीय (या रेलवे) सेवक उस अवधि के लिए किसी भी वेतन का हकदार नहीं होगा जब वह सेवा में नहीं था। वह दोषमुक्त होने की तारीख से बहाल होने का हकदार होगा। यदि उसे दोषमुक्त होने पर बहाल नहीं किया जाता है, तो वह दोषमुक्ति की तारीख से वेतन और भत्ते का हकदार होगा। यह स्थिति स्पष्ट की गई है उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में इसका उल्लेख किया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. यह विवाद्यक भी सुस्थापित है और अब यह अनिर्णीत नहीं है और उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतियों ने सर्वप्रथम **रणछोड़जी चतुरजी ठाकोर** (पूर्वोक्त) में अपने निर्णय में इसे निर्णायक रूप से अवधारित किया है, जिसमें उनके माननीय न्यायाधिपतियों ने एक ऐसे प्रकरण पर विचार किया है जिसमें एक सेवक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के अधीन अपराध में संलिप्तता हेतु दाण्डिक न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किए जाने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और बाद में उसे दोषमुक्त कर दिया गया था और परिणामस्वरूप उसे बहाल कर दिया गया था। माननीय न्यायाधिपतियों ने इस विवाद्यक पर विचार करते हुए कि क्या सेवक को बर्खास्तगी की तिथि और बहाली की तिथि के मध्य की अवधि के लिए बकाया वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: –

> "याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करने का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व ही पारित किया जा चुका है। एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या वह बकाया वेतन का हकदार है। अपराध में संलिप्त होने के उसके आचरण को उत्तरवादी की सेवा में न होने के लिए विचार में रखा गया था। उसके दोषमुक्ति के फलस्वरूप, वह इस कारण से बहाली का हकदार है कि उसकी सेवा उस स्थिति पर लागू वैधानिक नियमों के प्रावधान के संचालन द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर समाप्त कर दी गई थी। **बकाया वेतन के प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा जब उत्तरवादीगण ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के माध्यम से कार्रवाई की हो और कार्रवाई विधि में**

असंधारणीय पाई गई हो और उसे कर्तव्यों का निर्वहन करने से अवैध रूप से रोका गया हो। उस संदर्भ में, उसका आचरण सुसंगत हो जाता है। प्रत्येक प्रकरण में उसकी पृष्ठभूमि में विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रकरण में, **चूंकि याचिकाकर्ता स्वयं अपराध में लिप्त रहा किन्तु बाद में दोषमुक्त किया गया, क्योंकि उसने दोषसिद्धि या जेल में कैद के आधार पर स्वयं को सेवा प्रदान करने से निर्योग्य कर लिया था। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता बकाया वेतन के भुगतान का हकदार नहीं है।**"

9. इसी प्रकार, **भारत संघ विरुद्ध जयपाल सिंह**[3] के प्रकरण में, **रणछोड़जी चतुरजी ठाकोर** (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत का अनुमोदन सहित अनुपालन किया गया है।

10. भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधन, **नई दिल्ली विरुद्ध भोपाल सिंह पंचाल**[4] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेवा विनियमन में एक प्रावधान पर विचार किया है, जिसमें प्रावधान है कि कोई सेवक, जो बिना किसी प्राधिकार के कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है, ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के दौरान किसी भी वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा (मू.नि. 17 के समान) और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: –

> "15. ... केवल तभी जब सेवक को सभी दोषों से दोषमुक्त कर दिया जाता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबन की अवधि के दौरान उसे कर्तव्य पर माना जाता है, तो वह सेवक उक्त अवधि के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते पाने का हकदार होता है। दूसरे शब्दों में, विनियमन बैंक को ऐसे निलंबन की अवधि को कर्तव्य पर या अवकाश पर या अन्यथा मानने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार निहित शक्ति को वैध रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अवधि के दौरान, सेवक कोई कार्य नहीं करता है। वह कदाचार में उसकी संलिप्तता के कारण अनुपस्थित है और बैंक किसी भी प्रकार से उसे अपने कर्तव्यों से दूर रखने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अतः, बैंक को उस अवधि के लिए उसे वेतन और भत्ते प्रदान करने का उत्तरदायित्व नहीं दिया जा सकता। यह 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत के विरुद्ध होगा और उन लोगों के लिए बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं होगा जिन्हें कार्य करना है और अपना वेतन अर्जन करना है। ..."

11. **भारतीय स्टेट बैंक व अन्य विरुद्ध मोहम्मद अब्दुल रहीम**[5] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रणछोड़जी चतुरजी ठाकोर** (पूर्वोक्त), **जयपाल सिंह का प्रकरण** (पूर्वोक्त) और **बलदेव**

---

3 (2004) 1 SCC 121

4 AIR 1994 SC 552

5 (2013) 11 SCC 67

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>सिंह विरुद्ध भारत संघ</u>[6] में पूर्ववर्ती निर्णयों पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि शासकीय सेवक को बाद में दोषमुक्त करने से यद्यपि उसकी दोषसिद्धि समाप्त हो जाती है, परंतु यह अधिनियम के अधीन दोषसिद्धि के विधिक परिणामों को समाप्त करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होता है, और निम्नानुसार अवधारित किया:–

> "11. ... उपरोक्त अवधि के दौरान, अतः, अपीलार्थी बैंक पर उसे सेवा पर रखने से विधिक तौर पर प्रतिबंध था। यदि उत्तरवादी अधिनियम के प्रावधानों के कारण उक्त अवधि के दौरान अपीलार्थी बैंक में सेवा पर नहीं रह सकता था, तो यह कल्पना करना कठीन है कि वह उस अवधि के दौरान वेतन के भुगतान का हकदार कैसे होगा। यद्यपि उसके बाद के दोषमुक्ति से उसकी दोषसिद्धि समाप्त हो जाती है, परंतु अधिनियम के अधीन दोषसिद्धि के विधिक परिणामों को समाप्त करने के लिए यह पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होता है। उत्तरवादी के बकाया वेतन के अधिकार का निर्धारण उपरोक्त आधार पर किया जाना चाहिए। निस्संदेह, उसकी दोषमुक्ति के बाद उसकी बहाली होनी चाहिए थी और अपीलार्थी बैंक द्वारा उसे यह प्रदान की गई है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के अधीन अपराधों के लिए अधिकारिता दाण्डिक न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किया गया था, जिसके अनुपालन में उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। यद्यपि, दाण्डिक अपील में इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। परंतु इस मध्य, याचिकाकर्ता दिनांक 31.08.2018 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। यद्यपि, उन्हें बकाया वेतन प्रदान करने से इंकार कर दिया गया है, चुंकि उत्तरवादी सीएसपीडीसीएल याचिकाकर्ता की सेवाएं लेने में असमर्थ था क्योंकि वह दाण्डिक आरोप का सामना कर रहा था और इस प्रकार, **<u>रणछोड़जी चतुरजी ठाकोर</u>** (पूर्वोक्त), **<u>जयपाल सिंह का प्रकरण</u>** (पूर्वोक्त), **<u>बलदेव सिंह</u>** (पूर्वोक्त) और **<u>मोहम्मद अब्दुल रहीम का प्रकरण</u>** (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतियों द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों के आलोक में, याचिकाकर्ता को बाद में दोषमुक्त कर दिया जाना यद्यपि उसकी दोषसिद्धि को समाप्त कर देता है, परंतु दोषसिद्धि के विधिक परिणामों को समाप्त करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होता है और इस प्रकार, वह बकाया वेतन का हकदार नहीं होगा। अंत में, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि मूलभूत नियमों का नियम 54–ख वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होगा। परिणामस्वरूप, मूलभूत नियमों का नियम 54–ख लागू नहीं होगा और इस प्रकार, वह बकाया वेतन का हकदार नहीं होगा।

---

6 (2005) 8 SCC 747

13. इस प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए, मुझे इस रिट याचिका में कोई सार प्रतीत नहीं होता, अतः यह खारिज किए जाने योग्य है एवं तदनुसार खारिज की जाती है ।

पक्षकारों को अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करना होगा।

सही/–

(बिभु दत्त गुरु)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Head Note

" Employee involved himself in a crime but acquitted later is not entitled to back–wages, as he had disabled himself for rendering the service on account of conviction or incarceration in jail."

" कर्मचारी, जो स्वयं अपराध में लिप्त रहा हो किन्तु बाद में दोषमुक्त किया गया हो वह बकाया वेतन प्राप्त करने का हकदार नहीं है, क्योंकि उसने दोषसिद्धि या जेल में कैद के आधार पर स्वयं को सेवा प्रदान करने से निर्योग्य कर लिया था। "

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur